उत्तर प्रदेश शासन

नियोजन अनुभाग-2

संख्याः358 /पैतीस-2-2020-3/39(2)/16

लखनऊः दिनांकः30 अप्रैल, 2020

अधिसूचना

सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के नियम 5 व 7 के साथ पठित सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 2008 (अधिनियम संख्या-7 सन् 2009) की धारा 3 और 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, एतद्द्वारा विनिर्माण तथा इससे सम्बंधित कार्यकलापों, जिसे आगे "वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2018-19" कहा गया है, के सम्बंध में सांख्यिकी के संग्रहण पर सांख्यिकीय सर्वेक्षण, नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित विवरण के अनुसार, करने के लिए निदेश देता है:-

2. औद्योगिक इकाइयाँ, केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिदर्शकरण की प्रक्रिया के माध्यम से चयनित है और नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने ऊपर उल्लिखित निदेश के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र के लिए राज्य प्रतिदर्श हेतु इकाइयों का सर्वेक्षण करने के लिए श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय, निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश को सांख्यिकी अधिकारी नियुक्त किया है।

3. राज्य सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को प्रत्येक सूचनादाता द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना का सत्यापन करने हेतु संगत अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए और आवश्यक होने पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए, सांख्यिकी अधिकारी की अधिकारिता में लगाया जायेगा। प्रत्येक व्यक्ति को फोटो पहचान पत्र अथवा जिला के सम्बंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्राधिकार पत्र अपने साथ रखना होगा।

4. वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, 2018-19 के सम्बंध में सूचनादाताओ द्वारा उपलब्ध करायी गयी वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण अनुसूची के भाग-1 में संग्रहीत आंकड़ों का विधिवत सत्यापन और संवीक्षा करने के पश्चात् उन्हें कार्यालय, निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उत्तर प्रदेश में कार्यरत पदाधिकारियों द्वारा तैयार किया जायेगा।

5. वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, 2018-19 से सम्बंधित किसी कार्यकलाप में संलग्न समस्त व्यक्ति, सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 2008 (अधिनियम संख्या 7 सन् 2009) और सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के अधीन उपबंधों द्वारा शासित है। उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) और (6) के उपबन्धों के अनुसार सांख्यिकी अधिकारी को जिला स्तरों पर कार्यरत अर्थ एवं संख्या अधिकारी तथा अपर सांख्यिकी अधिकारी को प्रदान की गयी शक्तियों के माध्यम से अर्थ एवं संख्या अभिकरण में वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, 2018-19 का कार्य सम्पादित करने हेतु शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी है। सांख्यिकी अधिकारी को उक्त उपधारा (4) एवं (6) के उपबंधों के अधीन कार्य का निरीक्षण करने के लिए जिला स्तर के अर्थ एवं संख्या अधिकारी तथा मण्डल स्तर के उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या) व मण्डलीय अर्थ एवं संख्या अधिकारी को प्राधिकृत करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं।